

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)
05 हार्डिंग रोड, पटना - 800001
(वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in>)

विज्ञापन संख्या - 02/2025

Visit Website "QuickSarkari.Com"

बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में "चालक सिपाही" के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 21.07.2025 से प्रारंभ होगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20.08.2025 ।

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों, इकाइयों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में 'चालक सिपाही' पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-23/नियुक्ति-01-53/2025-5032/सा0प्र0 दिनांक 20.03.2025 सह पठित गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार का पत्र संख्या-8/विविध-10-03/2025 गृ0आ0 2445 दिनांक 27.02.2025 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या - पी0-04/04-01-58-2024/30 दिनांक 13.02.2025 द्वारा आरक्षण कोटिवार अध्याचना प्राप्त है। पर्षद द्वारा "चालक सिपाही" के पद पर चयन की कार्यवाही गृह विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7655 दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्रवृत्त बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

2. **रिक्ति :-** बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 'चालक सिपाही' के रिक्त पदों (वितनमान लेवल-3 [21,700 — 69,100]) की संख्या 4,361 (चार हजार तीन सौ इकसठ) है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है:

क्र० सं०	आरक्षण कोटि	आरक्षण कोटि कोड	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) के लिए क्षैतिज आरक्षण
1	2	3	4	5	6
1	गैर आरक्षित (UR)	01	1772	620	87
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	07	436	153	
3	अनुसूचित जाति (SC)	02	632	221	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	24	08	
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	04	757	265	
6	पिछड़ा वर्ग (BC) (09 ट्रांसजेन्डर सहित)	05	492	172	
7	पिछड़े वर्गों की महिलाएं (BCW)	06	248	-	
योग -			4361	1439	87

- स्तम्भ 5 एवं 6 की संख्या स्तम्भ 4 में सम्मिलित है।

नोट - 1. लिखित परीक्षा के पूर्व अध्यायी प्राधिकार से प्राप्त नयी अध्याचना को भी शामिल किया जा सकता है, तथा/ अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पर्थ के वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

4. चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता -

- इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक (Indian Citizen) ही आवेदन कर सकते हैं।
- शारीरिक मापदण्ड** - अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊँचाई/ सीना माप/ वजन होना चाहिए :

कोटि	ऊँचाई	सीना	
	न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाये	न्यूनतम फुलाकर
गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-01 (गोरखा बटालियन)) के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 05 से.मी. का अंतर होना अनिवार्य होगा।			
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि.ग्रा. होना आवश्यक है।			

नोट:- ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

iii) **शैक्षणिक अर्हता** - चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) पास या समकक्ष अनिवार्य होगी।

iv) **मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति** - अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन (LMV)/ भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होगा।

v) **उम्र सीमा** - अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी :

- गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष;
- पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष;
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष;
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा Transgender कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष;

- V. बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उच्च सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जा सकेगी।

vi) **आरक्षण :-**

- i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- ii) आवेदन-पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
- iv) राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 12575 दिनांक 09 जुलाई, 2025 के आलोक में राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर-आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही, **‘सम्पूर्ण रूप से 35 प्रतिशत’** क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में इन रिक्तियों को अग्रणीत किया जाएगा तथा पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर-आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम (Merit List) में उपर हों, से भरा जा सकेगा।

महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

- vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के **वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण** देय होगा। ऐसे आरक्षण को दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नातीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। **स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का परिचय पत्र मान्य नहीं है।**

- vii) **अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों** को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- viii) **पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों** को जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के साथ **क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा। उनके स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।**

- ix) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 एवं पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023

के आलोक में **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण कोटि के सदस्य** द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थी** के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का संकल्प संख्या 11/आ0नी0 I-02/2024 सा0प्र0- 12722 दिनांक 12.09.2014 सहपठित गृह विभाग का संकल्प 386/गृ0आ0, दिनांक 14.01.2021 के तहत **Transgender (उभयलिंगी) व्यक्तियों को आरक्षण** का लाभ देय होगा। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का परिपत्र संख्या 9556/सा0प्र0 दिनांक 19.06.2024 सह पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2020 के साथ संलग्न प्रपत्र-3 अथवा प्रपत्र-4 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र एवं स्थायी आवास-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। योग्य ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थी से भरा जाएगा।

xi) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 16011/7/2010-PF IV, दिनांक 16.09.2011 के आलोक में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया (तत्कालीन विशेषीकृत इंडिया रिजर्व बठालियन) में रिक्ति के 30 प्रतिशत पदों पर बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पी03/13-01-59/2022/295 दिनांक 30.05.2023 के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार ये राजस्व जिले रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) हैं।

xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या - 11/आ0वि0-18/2019 सा0प्र0 18675 पटना-15 दिनांक 21.11.2024 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका 2(3) में अंकित प्रावधानों के अनुरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन “चालक सिपाही” का पद, जिसे प्रशासी विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कर्तव्य निर्वहन के लिए अनुपयुक्त माना गया है, को नियुक्ति के क्रम में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

xiii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। **ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।** किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोटि निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	आरक्षण कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

xiv) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है।

xv) सभी वांछित प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. **चयन के लिए परीक्षा संरचना** - जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन/ भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे:

(क) **प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा'** - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय/ बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

(ii) **पाठ्यक्रम-** लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शेष 40 प्रतिशत प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिह्नों और संकेतों से संबंधित (20 प्रतिशत) और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख-रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित (20 प्रतिशत) प्रश्नों के विषय को सम्मिलित किया जाएगा। **पाठ्यक्रम** पर्षद की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

(iii) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगी। ओ0एम0आर शीट/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केन्द्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(iv) इस पत्र में गैर आरक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक - 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक - 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1 के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक - 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक - 32 प्रतिशत होगा। निर्धारित अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।

(v) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक दक्षता जाँच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vi) लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।

(ख) **द्वितीय चरण - शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)** -

(i) लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

- (ii) अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।
- (iii) शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/ मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।
- (iv) महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- (v) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेंक की स्पर्धाएँ होंगी। इन चारों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग-अलग सफल होना आवश्यक होगा।
- (vi) शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होंगे यह अर्हक प्रकृति की होगी परन्तु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।
- (vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएँ होंगी :

(I) दौड़ - उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है:-

दौड़	निर्धारित अर्हता
सभी कोटि के पुरुषों के लिए	1 मील (1.6 कि.मी.) {अधिकतम 7 मिनट में}
सभी कोटि की महिलाओं के लिए	1 कि.मी. {अधिकतम 7 मिनट में}

7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा।

(II) उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अन्तर्गत निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

कोटि	जाँच / कार्यक्रम	विनिश्चित पात्रता
पुरुष उम्मीदवारों के लिए	ऊँची कूद	न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट 6 इंच
	लंबी कूद	न्यूनतम 10 (दस) फीट
	गोला फेंक (16 पौंड)	न्यूनतम 14 फीट
कोटि	जाँच / कार्यक्रम	विनिश्चित पात्रता
महिला उम्मीदवारों के लिए	ऊँची कूद	न्यूनतम ऊँचाई 2 फीट 6 इंच
	लंबी कूद	न्यूनतम 07 (सात) फीट
	गोला फेंक (12 पौंड)	न्यूनतम 08 फीट

नोट:- ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदण्ड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

(III) नियत समय (पुरुषों के लिए 7 मिनट एवं महिलाओं के लिए 7 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/ अथवा ऊँची कूद एवं/ अथवा लंबी कूद स्पर्धा/ स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक, लंबी कूद एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(IV) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि से 3 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष दर्ज करा सकेगा। पर्षद आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा।

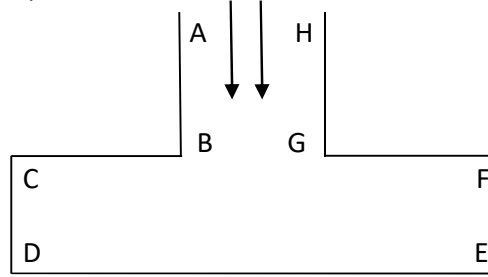
(ग) तृतीय चरण - मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच -

i) शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को ही मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा।

ii) इस दक्षता जाँच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा। उम्मीदवारों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे:-

(a) परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गए चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा।

(नोट :- यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।)



A से H = B से G = 8 फीट 6 इंच

B से C = F से G = 11 फीट 3 इंच

C से D = E से F = 25 फीट 6 इंच

D से E = C से F = 31 फीट

A से B = H से G = 21 फीट

(b) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा -

(क) जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक - 40 (चालीस) होंगे, जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	40
1 मिनट तक	5 गियर	32
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	24
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	16

3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएँगे तथा उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएँगे और न ही वे अन्य स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे।

(ख) कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक - 40 (चालीस) होंगे, जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	40
1 मिनट तक	5 गियर	32
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	24
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	16

3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएँगे तथा उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएँगे और न ही वे अन्य स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे।

(ग) **बस/ ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक - 20 (बीस) होंगे** जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :-

सभी गियर बदलकर, बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर	08 अंक
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	04 अंक
गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना	08 अंक

इस स्पर्धा में भारी मोटरवाहन (HMTV) चालन अनुज्ञप्तिधारी ही भाग ले सकेंगे, अन्य अभ्यर्थी को इस स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। इसमें प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा अंक में जोड़े जाएँगे, परंतु स्पर्धा में असफल होने अथवा भाग न लेने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(घ) **चतुर्थ चरण - दस्तावेज सत्यापन :**

- (i) मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र, वाहन चालन अनुज्ञप्ति एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा।
- (ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनु रूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भाँति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय **शैक्षणिक अर्हता** एवं **आरक्षण** से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि/ कट-ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।
- (iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:
 - i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
 - ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।
 - iii. इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
 - iv. इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
 - v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए -
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
 - vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं

- स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
 - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए -
- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण-पत्र (**स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा**); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए -
- सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष **2024-2025** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- ix. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए -
- सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने सम्बन्धी पहचान प्रमाण-पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19.06.2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रपत्र-3 अथवा प्रपत्र-4 में निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- x. बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों के लिए -
- परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न सक्षम प्राधिकार से निर्गत **“संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र”**। बिहार पुलिस मुख्यालय का पत्र संख्या पी0-04/04-01-58-2024/69 दिनांक 13.05.2025 के अनुसार **“संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र”** निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार संबंधित जिला/ वाहिनी/ इकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ समादेष्टा एवं समकक्ष होंगे।
- xi. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार के यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

6. मेधा सूची-

- i) लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये अर्हक (Qualifying) होगी; तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तोवज सत्यापन के लिए अर्हक होगी।
- ii) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की **मेधा सूची** वाहन चालन दक्षता परीक्षा में

प्राप्त अंकों एवं बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजन अवधि के आधार पर निम्न रीति से तैयार की जायेगी :

(क) बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक संविदा नियोजन अवधि के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंकों, अधिकतम 25 अंकों, की अधिमानता दी जाएगी।

(ख) वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा।

(ग) उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं और संविदा नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार होगी -

$$\text{वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक} - 95 \times 0.75 = 71.25$$

$$\text{संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता अंक} - 25 = 25$$

$$\text{कुल अंक} = 96.25$$

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी को संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता प्राप्त नहीं हो और उसे वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त हों, तो उसे $95 \times 0.75 = 71.25$ अंक प्राप्त होंगे।

नोट : बिहार पुलिस मुख्यालय का पत्र संख्या पी0-04/04-01-58-2024/69 दिनांक 13.05.2025 के अनुसार “पूर्ण वर्ष” की गणना अभ्यर्थियों के संविदा नियोजन प्रारम्भ की तिथि से समाप्ति तक पूर्ण किए गए दिनों (365/366 दिन का एक पूर्ण वर्ष) के अनुसार की जायेगी।

iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

iv) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

v) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सेवा का आवंटन उनके द्वारा आवेदन-पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. **पूरक अनुशंसा सूची** - अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरोध पर, पर्षद द्वारा पूरक अनुशंसा सूचियाँ 06 माह तक निर्गत की जायेगी। 06 माह की अवधि की गणना मेधा सूची के प्रकाशन (अंतिम परीक्षा परिणाम) की तिथि से की जायेगी।

8. **नियुक्ति प्राधिकार** - बिहार पुलिस में जिला/ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी में चालक सिपाही पद के नियुक्ति प्राधिकार जिला वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ वाहिनी समादेष्टा/ पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी हैं।

9. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन** - (1) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0 - 103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0- 101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/ अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।

(2) बिहार पुलिस हस्तक, नियम 658(IV) में किए गए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

टिप्पणी 1. नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच चिकित्सकीय जांच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी 2. हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

10. **आवेदन शुल्क** - अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य निम्नांकित है :

क्र सं०	श्रेणी	आवेदन-पत्र का मूल्य
1	(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी; (ii) राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/ कोटि की महिला अभ्यर्थियों; एवं (iii) ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 180/- (एक सौ अस्सी)
2	शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 675/- (छः सौ पचहत्तर)

नोट -

1. अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
2. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/ बिहार राज्य के मूल निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण एवं बिहार राज्य के मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है।

11. **कट-ऑफ तिथियाँ (Cut-off Dates)** - इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट-ऑफ तिथियाँ निम्न अनुसार रहेंगी:

i) उम्र सीमा के लिए -

(क) न्यूनतम उम्र के लिए - दिनांक 01.08.2025;

(ख) अधिकतम उम्र के लिए - बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन 05/2019 में कट-ऑफ तिथि 01.08.2019 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या 3/एम-90/2005 का0- 212, पटना-15 दिनांक 23.01.2006 के आलोक में दिनांक 01.08.2020;

ii) शैक्षणिक अर्हता के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)

iii) मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति के लिए - दिनांक 17.07.2024 (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व)

iv) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)

v) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)।

vi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

- vii) स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए- दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि);
- viii) Transgender के पहचान प्रमाण पत्र के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)।
- ix) बिहार पुलिस में संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र के लिए - दिनांक 20.08.2025 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)।

12. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश -

i) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियाँ निम्नांकित हैं:

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	21.07.2025
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	20.08.2025

ii) अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्षद के वेबसाइट (Website) <https://csbc.bihar.gov.in/> पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे।

iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन की तिथि से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व इन दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। **यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।**

iv) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी0 रखें जो यथासम्भव अभ्यर्थी के नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी0 अनिवार्य है।** यदि अभ्यर्थी की अपनी ई-मेल आईडी0 (e-mail Id) नहीं है तो बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आईडी0 (e-mail Id) एवं मोबाइल नम्बर पर साझा की जा सकती हैं। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी0 के कारण हुई असुविधा के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी।

vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर भी भेजा जायेगा।

vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

ix) अभ्यर्थी दसवीं/ समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/ पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ सही-सही भरेंगे। **प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

- x) आवेदन-पत्र में यदि अभ्यर्थी गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।
- xi) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/ श्रेणी/ जाति/ वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट - <https://state.bihar.gov.in> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/ आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

13. ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

- i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in/> पर जाकर 'Bihar Police' के Tab या 'Advts by Group' में जाकर 'Adv. No. [02/2025]' पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- ii) विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट - <https://csbc.bihar.gov.in/> पर Bihar Police Tab के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। उक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/ डेबिट कार्ड (Credit/ Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/ डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के ट्रान्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।
- iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा - ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि एवं पदों की प्राथमिकता संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड SMS/ E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण Edit (सुधार) करने की सुविधा है।
- iv) **पंजीकरण रद्दीकरण** - यदि अभ्यर्थी ने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद वह ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अभ्यर्थी रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।
- v) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में** अभ्यर्थी को वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/ पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही से) अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैकग्राउंड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- vi) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/ निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले अभ्यर्थी "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत अभ्यर्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/ E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/ समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही

मानते हुए पर्षद आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

vii) **गलत/ त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया** - जैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./ Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

viii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचनाएँ मात्र डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती हैं। यदि उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा।

14. **महत्वपूर्ण निर्देश -**

i) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/ कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

ii) भविष्य में पत्राचार/ जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

iii) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए पर्षद जिम्मेदार नहीं होगा।

iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँ। भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/ सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

v) ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थिता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र/ प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने अपने आवेदन-पत्र में किया है।

vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करें एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लें।

vii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/ गलत भुगतान/ असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Pending) के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

viii) जैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें बिहार लोक सेवा आयोग/ पर्षद/ अन्य चयन आयोग आदि द्वारा, निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। **अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा।**

ix) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/ भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। **गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पर्षद के पास सुरक्षित रहेगा।**

x) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक अर्हता एवं

आरक्षण आदि के दावों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की जाँच दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण-पत्रों से की जाएगी। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने अथवा इसमें विसंगति अथवा त्रुटि अथवा गलत जानकारी प्रकाश में आने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

xi) जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द/ निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

15. अभ्यर्थिता रद्दीकरण/ निरस्तीकरण - अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने विज्ञापन में अंकित सभी निर्देशों, अर्हताओं एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है। किन स्थितियों में अभ्यर्थी का आवेदन/ अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है उन्हें पूर्व कण्डिकाओं में स्पष्ट किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर भी बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा अवांछित image का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
- (ix) अभ्यर्थी का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/ समर्पित न करना, जैसे -
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
 - (ख) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (xii) अभ्यर्थी का किसी आपराधिक काण्ड/ गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
- (xiii) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।

16. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/ चयन से संबंधित अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी।

17. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का

अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

18. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ पर्वद की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in/> पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

19. बिहार परीक्षाओं का संचालन (अनैतिक साधनों की रोक थाम) अधिनियम, 2024 एवं तत्सम्बन्धी नियम इस विज्ञापन के तहत आयोजित परीक्षाओं पर लागू रहेंगे।

अनुलग्नक - परिशिष्ट 'क'

ह0/-

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती),
बिहार

ज्ञापांक 21/के0च0प0(सू0)

दिनांक 17/07/2025

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,
05 हार्डिंग रोड, पटना- 800001

प्रतिलिपि:-

1. **पुलिस महानिदेशक**, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. **अपर मुख्य सचिव**, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/-

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती),
बिहार

संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु विहित प्रपत्र :-

विज्ञापन संख्या :-

नाम (पदनाम सहित) :-

जन्म तिथि :-

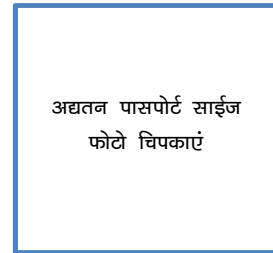
पता :-

कार्यालय का नाम :-

संविदा नियोजन की अवधि :-

अभ्युक्ति :-

आवेदक का हस्ताक्षर



नियुक्ति प्राधिकार का
हस्ताक्षर एवं मुहर